कार्यालय प्राचार्य

शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)
Phone No. : 07786-242529, E-mail ID :-ggckondagaon@gmail.com

क्रमांक 5 / स्था. / 2024 कोण्डागांव, दिनांक 8 / 8 / 2024

//आमंत्रण पत्र//

प्रति,

डॉ आरती राठौर
ग्रा+पो-लालपुर, पेन्ड्रारोड
जिला- गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

विषय :– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षक / अतिथि क्रिड़ा अधिकारी पद पर अध्यापन कार्य की अनुमति।

---000---

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–54 / स्था / 2020 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20 / 06 / 2024, एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 574 / 126 / आउशि / राज. स्था. / 2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06 / 07 / 2024 के निर्देशानुसार महाविद्यालय में प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के तहत् विषय अर्थशास्त्र पर अध्यापन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दी जाती है। दिनांक 12/08/2024 तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें :–

1. यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है।
2. अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगें।
3. प्रति व्याख्यान 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये रुपये 400 /– (शब्दों में– चार सौ रुपये) जो प्रतिदिन रुपये 1600 (शब्दों में– एक हजार छः सौ) तथा प्रतिमाह 41600 /– (शब्दों में– इकतालिस हजार छः सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. प्रति व्याख्यान 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये रुपये 500 /– (शब्दों में– पाँच सौ रुपये) जो प्रतिदिन रुपये 2000 /– (शब्दों में– दो हजार रुपये मात्र) तथा प्रतिमाह 50000 /– (शब्दों में– पचास हजार रुपये मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा।
5. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय तीन प्रायोगिक कक्षाओं को दो सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जायेगा ।
6. कार्य पर उपस्थित होते समय मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर अध्यापन अनुमति पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
7. कार्यरत अतिथि व्याख्याता की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही अधिमानिक बर्ताव के हकदार होगें ।
8. अतिथि व्याख्याताओं को स्नातक / स्नातकोत्तर / प्रायोगिक परीक्षा (वार्षिक) स्तर पर अध्यापन कार्य संपन्न होने तक रखा जायेगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं को एक शपथ पत्र उपस्थिति के समय निष्पादन करना होगा, जिसमें उल्लेख हो कि–
   - क – उनका कोई आपराधिक प्रकरण किसी पुलिस थाने या न्यायालय या अन्य अदालत में विचाराधीन नहीं है।
   - ख – वह किसी अन्य शासकीय / अर्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं है ।
   - ग – वह किसी अन्य महाविद्यालय संस्था में कार्य नहीं कर रहे हैं।

10. महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा शासन से स्थानांतरण से नियमित प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति होने से यह अनुमति स्वयमेंव समाप्त हो जावेगी ।